The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Government have no such information.

(b) and (c). Do not arise.

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल

2661. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कर्मचारियों ने अपनी मांगें मनवाने के लिये सितम्बर, 1966 में भूख हड़ताल कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों की मांग यह है कि क्षेत्रीय अधिकारियों और दफ्तर के कर्मचारियों के काम के ढंग और परिमाण में वर्तमान स्थिति को तब तक कायम रखा जाय जबतक कि उनके उस विवाद का निपटारा नहीं हो जाता जो कि कार्य एकीकरण द्वारा आर्थिक पुनर्गठन के प्रयत्न के रूप में मानवीय अभिनवीकरण के शुरू करने के सम्बन्ध में है।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत, इस मामले में औद्योगिक संबंधों के लिए राज्य सरकारें सम्बन्धित सरकारें हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और उनके कर्मचारियों का विवाद 30 सितम्बर, 1966 को औद्योगिक न्यायधिकरण के पास न्याय-निर्णय के लिए भेज दिया है। बम्बई में भी राज्य के श्रम विभाग द्वारा विवाद समझौते की कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। समझौता कार्यवाही जारी है। यह पता चला है कि मैनेजमेंट बम्बई में किया गया समझौता/निर्णय इस देश में अन्य केन्द्रों पर लागू करने को तैयार है।

राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा हत्या तथा अपहरण

2662. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 सितम्बर, 1966 के "वीर अर्जुन" में प्रकाशित यह समाचार सच है कि पाकिस्तानियों के एक दल ने युद्ध विराम रेखा पार करके राजौरी क्षेत्र में डांगी गांव के मुखिया खान मुहम्मद की हत्या की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे उसकी युवा पत्नी को उठा ले गये और उसका रुपया-पैसा तथा सम्पत्ति भी ले गये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 9 सितम्बर, 1966 की रात को कुछ पाकिस्तानियों ने युद्ध विराम रेखा से 2–3 मील दूर ग्राम डूंगी के निवासी मुहम्मद याकूब के घर में घुस कर एक हैंडग्रेनेड का विस्फोट किया जिसके फलस्वरूप मुहम्मद याकूब की मृत्यु हो गई और उसका भाई मुहम्मद खान घायल हो गया।

(ख) उन्होंने एक अवयस्क बालक को अपहृत कर लिया किन्तु मुहम्मद याकूब की पत्नी के अपहरण की चेष्टा में असफल रहे।

(ग) रणवीर दंड संहिता की धारा 396/363 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया।